न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 73/2022
दायर दिनांक : 05/07/2022
निर्णय दिनांक : 11/10/2022

उनवान

1. मु. धापू बेवा सूरजमल माली निवासी आकोला तहसील भूपालसागर
2. मु. कमली पिता सूरजमल माली निवासी भूपालसागर तहसील भूपालसागर

प्रार्थीगण

बनाम

1. देवीलाल पिता लालू माली निवासी आकोला तहसील भूपालसागर
2. श्री चारभुजानाथ स्थान देह आकोला, शास्वत नाबालिग बविलायत संरक्षक पुजारी श्री किशनदार पिता मनोहरदास बैरागी निवासी आकोला

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये, इसलिए प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी के विरूध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थी रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत धारा–128 **एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी** का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा **ग्राम आकोला की आराजी संख्या 7569/5295 रकबा 0.05 है.** भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया ।

(भावना सिंह)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला–चित्तौडगढ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.11.23 15:32:27 IST
Reason: SelfAttested

F:\disicion case\finel descisen dara 128 RTA\ganesh v-s shubhasing 8-2021.docx